न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1822/2017 (2017/)

1. सत्यनारायण पुत्र सुरजमल दर्जी
2. नन्दकिशोर पुत्र सुरजमल दर्जी
3. इन्द्रा देवी पत्नि स्व बृजमोहन दर्जी
4. दीपक पुत्र स्व बृजमोहन दर्जी
5. मोना पुत्री स्व बृजमोहन दर्जी
6. नीतु पुत्री स्व बृजमोहन दर्जी
7. कमलेश पुत्र स्व बृजमोहन दर्जी
8. राजकंवर पुत्री स्व सुरजमल दर्जी
9. सुरज्ञान पुत्री स्व सुरजमल दर्जी

तमाम वारिस काबिज जायदाद स्व सुरजमल पुत्र शिवनारायण निवासीगण ग्राम गुंलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

— प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89राज. काश्तकारी अधिनियमवधारा 133भू राजस्व अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 07.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,19राज. काश्तकारी अधिनियम वधारा 133 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम गुलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नप्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
680–613	1290	1.13	बारानी 1
	किता 1	रकबा 1.13 हैक्टर	

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार वादीगंण के पिता/दादा/ससुर स्व. सुरजमल को आवंटन की गई आराजी के पुराने खसरा नम्बर 541 है जिसके हाल खसरा नम्बर 1302 है। आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 541 है, स्व सुरजमल पुत्र शिवनारायण दर्जी को दिनांक 24.06.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत गुलगांव में आवंटन की गई थी एवं सुरजमल अपनी आवंटनशुदा जमीन का आवंटन कमेटी द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा चिन्हित स्थान पर कब्जा सुपुर्द प्राप्त किया। कब्जा सुपुर्दगी दिनांक से ही वाद वर्णित आराजी पर एकमात्र कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य सुरजमल जी का ही चला आ रहा था। सुरजमलजी ने अपने जीवनकाल में वर्णित आराजी पर एक चाह का निर्माण कराया व आराजी को काफी रूपये खर्च कर उपजाउ बना कर व आवंटनशुदा आराजी के चारो तरफ मेडबन्दी कराई। सुरजमलजी की मृत्यु के उपरान्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है। आवंटनशुदा व कब्जे काश्त शुदा आराजी खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 1302 का भाग है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1302 पर ही वादीगण को अपनी आवंटनशुदा का कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया गया था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

में आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 1290 वादीगण के पिता के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जबकि आवंटन दिनांक को वादीगण के पिता को कब्जा 1302 के भाग पर सुपुर्द किया गया था। आज भी वादीगण का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 1302 पर ही सुपुर्दगी अनुसार है। खसरा नम्बर 1290 वादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को आवंटन दिनांक को दिए गये कब्जा सुपुर्दगी के अनुसार खसरा नम्बर 1302 में रकबा 1.13 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। खसरा नम्बर 1302 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज होने से प्रतिवादी वादीगण को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिससे यह वादपत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1290 में से वादीगण का नाम दुरूस्त किया जाकर आवंटन दिनांक को सुपुर्द किये गये कब्जे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.13 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने तथा हाल खसरा नम्बर 1290 रकबा 1.13 हैक्टर को राज हक में लिया जाकर सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने केम्प मौके पर उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार / जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम गुलगांव के आराजी खसरा नम्बर 1290 रकबा 1.13 हैक्टर वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कब्जा वर्तमान खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.80 हैक्टर में है। दोनो ही खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 541 से बने है। अतः खसरा नम्बर 1290 रकबा 1.13 हैक्टर को सिवायचक एवं खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.80 में से खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.13 हैक्टर पर वादीगण के नाम दर्ज किया जाना तहसीलदार केकड़ी द्वारा अपने जवाब दावा में उचित बताया है।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन/तरमीम को दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 1302 में रकबा 1.13 हैक्टर पर वादीगण का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है/उचित बताया है जिससे अब प्रकरण में शहादत वादी, शहादत प्रतिवादी, तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रही है। अतः आज दौराने केम्प उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

--:आदेश:--

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जवाब दावा मय प्रस्तावित नक्शा, का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार ग्राम गुलगांव के वर्तमान खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.80 हैक्टर में से रकबा 1.13 हैक्टर पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1290 रकबा 1.13 हैक्टर को सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.13 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प गुलगांव में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. सत्यनारायण पुत्र सुरजमल दर्जी
2. नन्दकिशोर पुत्र सुरजमल दर्जी
3. इन्द्रा देवी पत्नि स्व बृजमोहन दर्जी
4. दीपक पुत्र स्व बृजमोहन दर्जी
5. मोना पुत्री स्व बृजमोहन दर्जी
6. नीतु पुत्री स्व बृजमोहन दर्जी
7. कमलेश पुत्र स्व बृजमोहन दर्जी
8. राजकंवर पुत्री स्व सुरजमल दर्जी
9. सुरज्ञान पुत्री स्व सुरजमल दर्जी

तमाम वारिस काबिज जायदाद स्व सुरजमल पुत्र शिवनारायण निवासीगण ग्राम गुंलगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

—— प्रतिवादी

वाद पत्रः– <u>अंतर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियमवधारा 133 भू राजस्व अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बरः–राजस्व वाद 1822 / 2017 (2017 /)

निर्णय दिनांकः–07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी वादीगण स्वयं व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार ग्राम गुलगांव के वर्तमान खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.80 हैक्टरं में से रकबा 1.13 हैक्टर पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने एवं वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 1290 रकबा 1.13 हैक्टर को सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खसरा नम्बर 1302 रकबा 1.13 हैक्टरं पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत...........................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक............

..........................को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आंज तारीख 07.06.2023 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर	——	——
बाबत इजराय हुक्मनामा	——	——	बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक	0	0
मीजान	0	0	मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।